न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2023

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना तलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री इकबाल पुत्र श्री अहमद शाह जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी गोविन्दसर पुलिस माना जैतसर जिला श्रीगंगानगर। (फौत)
2. शाहरसूल पुत्र श्री अनवर शाह जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं. 03 चुनावढ कोठी हाल गोविन्दसर पुलिस थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 श्री राजेन्द्र कुमार पारिक अभि. अप्रार्थी सं. 02।

—:निर्णयः—

दिनांकः —12.11.2025

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.2020 को दौराने गश्त सड़क आम मौड़ नजद खेत निदान सिंह जटसिख रोही रामपुरा उर्फ रामसरा को हरियाणा से डीजल परिवहन करते हुये को रोककर वाहन चालक से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम इकबाल पुत्र श्री अहमद शाह जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी गोविन्दसर पुलिस माना जैतसर जिला श्रीगंगानगर होना बताया व खलासी से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम शाहरसुल पुत्र श्री अनवर शाह जाति मुसलमान उप 25 साल निवासी वार्ड नं. 03 चुनावढ कोठी हाल गोविन्दसर पुलिस थाना जैतसर का होना बताया। जिनसे वाहन पीकअप में भरे डिजल बाबत पुछा गया तो इंकबाल व शाहरसुल ने बताया कि हम दोनों 2610 लीटर डीजल हरियाणा के पेट्रोल पम्प हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से खरीद कर लाये थे जो हम आगे हमारे गांव में किसानों व आस पास के हौटलो पर मुनाफा लेकर बैचान करते है। दोनों काफी समय से हरियाणा से सस्ता डीजल खरीदकर ले जाते है और आगे फायदा लेकर बैचान करते है। वाहन पीकअप का निरीक्षण किया गया तो पीकअप के आगे पीछे नम्बर टैम्परेरी आर जे 2020 टीआर 9089 की नम्बर प्लैट लगी है व पीकअप में पीछे डाला में 11 ड्रम प्लास्टिक के रखे थे। जिनका निरीक्षण किया व ड्रमों के ढक्कन को खोलकर सुंघा गया तो प्रत्येक में डीजल की बद्दबु आ रही है। उक्त डिजल के ड्रमों में भरे डीजल को गेज से पैमाईश कर देखा गया तो 7 ड्रमों में प्रत्येक में 230 लीटर डीजल व 4 ड्रमों में प्रत्येक ड्रम में 250 लीटर डीजल भरा है। इस प्रकार कुल 11 ड्रमो में कुल 2610 लीटर डीजल भरा है जिस पर शक्स इकबाल व शाहरसुल से अपने पास स्वीकृत मात्रा से अधिक डीजल रखना व परिवहन करने बाबत लाईसेस/परमीट पुछा गया तो अपने पास कोई लाईसेस/परमीट होना नहीं बताया। इस प्रकार शक्स इंकवाल व शाहरसूल का बिना लाइसेंस/परमीट के स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में डीजल अपने पास रखना व परिवहन करना तथा बैचान करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दडनीय अपराध है। वाहन पीकअप नं. आरजे 2020 टीआर 9089 को अपराध प्रयुक्त वाहन होने पर जरिये फर्द जुदागाना जमा किया जाकर वाहन पीकअप की तलाशी ली गई तो आगे ड्राईवर साईड

में डैशबोर्ड पर दो छोटी डायरी मिली, जिनमें डीजल को आगे बैचान करने का हिसाब लिखा है तथा एक पर्ची पेट्रोल पम्प हिन्दुस्तान पैट्रोलियम की मिली जिस पर दिनाक 17.04.2020 को खरीद किये गये डीजल की मात्रा व रूपये अंकित है। उक्त डायरीया व पर्ची को बतौर वजह सबुत जरिये फर्द जुदागाना जब्त किया गया। बरामद वाहन पीकअप टैम्परेरी नं. आरजे 2020 टीआर 9089 की मालिकाना हक बाबत कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। मुताबिक रिकॉर्ड पीकअप के नं. आर जे 13 जीबी 6449 है। चैसिस नं. एम ए 1 जेड आर 2 टी बी के एल 5 वी 16397 व इंजन नं० टी वी एल 4 ए 82477 है तथा मुताबिक रिकार्ड के वाहन मालिक सीताराम पुत्र श्री हुक्माराम निवासी भोपालपुरा, सुरतगढ़, श्रीगंगानगर। मुलजिमान द्वारा जिन व्यक्तियों को सैल बैचान किया गया था उक्त गवाह श्री साहबराम व सीताराम से तफतीश की जाकर ब्यान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। मुकदमा हाजा में बरामदा डीजल अति ज्वलनशील पदार्थ है जो थाना हाजा पर खुले परिसर में रखा गया है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट पेशकर निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में बरामदा ज्वलनशील पदार्थ डीजल का धारा 6ए ई.सी. एक्ट के तहत निस्तारण फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 01 के फौत होने की सूचना जरिये डाक प्राप्त हुई। इसलिए अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 02 ने कथन किये कि बरवक्त जांच अन्वेषण अधिकारी द्वारा वाहन चालक इकबाल व शाहरसूल से 2610 लीटर डीजल बरामद किया गया। उक्त बरामद शुदा डीजल प्रार्थीगण का है जो एक कृषि पेशा व्यक्ति है, को अपने भूमि सुधार एवं कृषि कार्य हेतु वाहन में मंगवाया गया जो कि कृषि उपयोग हेतु लिया जाना था प्रार्थी जो कि एक लघु किसान है, को डीजल प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी को नुकसान कारित होगा जो कि नैसर्गिग सिद्धांतो के विपरित हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही Drop फरमायी जावें

राजकीय अभिभाषक ने दौरान बहस कथन किया है कि पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप RJ-13-GB-6449 को डीजल से भरे हुए ड्रमों के साथ जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में बताया गया है कि अप्रार्थी राजस्थान राज्य से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खरीद कर लाया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा तय किये गये आदेश, नियमों की अवहेलना हुई है व राज्य सरकार के राजस्व में हानि हुई। अप्रार्थीयान के पास लाईसेन्स व परमिट बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के इतनी मात्रा में डीजल तेल रखना व परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः—

1. राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा अप्रार्थीगण इकबाल व शाहरसूल से 07 ड्रमों में प्रत्येक में 230 लीटर डीजल व 4 ड्रमों में जिनमें प्रत्येक में 250 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया है। इस प्रकार 11 ड्रमों में कुल 2610 लीटर डीजल भरा जब्त किया गया। जब्तशुदा सामान अप्रार्थीगण इकबाल व शाहरसूल से जब्त किया गया है।
2. पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश 1999 की धारा 2एफ के तहत 2500 लीटर तक एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा 2500

लीटर से अधिक डीजल का परिवहन किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। न ही जांच के वक्त लाईसेन्स / परमिट की कॉपी पेश की।

अतः जब्तशुदा 07 ड्रमों में प्रत्येक में 230 लीटर डीजल व 4 ड्रमों में जिनमें प्रत्येक में 250 लीटर डीजल, इस प्रकार 11 ड्रमों में कुल 2610 लीटर डीजल व जब्तशुदा वाहन पिकअप गाडी नं. RJ-13-GB-6449 को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा व जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ व थानाधिकारी, पुलिस थाना तलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़